

संख्या: 8/2022/1003/35-1-2022-7-331/ज०नि०प्र०/2019टी०सी०-4

प्रेषक,

आलोक कुमार,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक: 06 अक्टूबर, 2022

विषय: उत्तर प्रदेश के अध्यासित परिवारों हेतु 'परिवार कल्याण योजना' संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 6/2022/724/35-1-2022/35-1010(099)/5/2021 दिनांक 21 जुलाई, 2022 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना का नाम "फैमिली आईडी- एक परिवार एक पहचान" किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त शासनादेश में जहां-जहां 'परिवार कल्याण योजना' अंकित है, वहां-वहां "फैमिली आईडी- एक परिवार एक पहचान" पढ़ा जाय।

3. उक्त शासनादेश दिनांक 21 जुलाई, 2022 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् बने रहेंगे।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)  
सचिव।

संख्या: 8/2022/1003(1)/35-1-2022-7-331/ज०नि०प्र०/2019टी०सी०-4 तद्विनांक।

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष एवं मण्डलीय अधिकारी।
2. समस्त मण्डलायुक्त।
3. समस्त जिलाधिकारी।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह बंसल)  
विशेष सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।